

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 1-6/2013/2a-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/5/13

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :-नियुक्तिकर्ता अधिकारीवार (जिला पंचायत/जनपद पंचायत) चयनित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 की पदभार ग्रहण प्रक्रिया।

संदर्भ :- विभाग का आदेश क्रमांक एफ 01-01/2012/20-1 भोपाल दिनांक 27.03.2012

वर्ष 2011-12 में व्यापम द्वारा आयोजित संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहं पाये गये शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही के प्रथम चरण में जिला पंचायत/जनपद पंचायत अंतर्गत संवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध आवंटित किये गये पदों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है :-

संक्र.	संविदा शाला शिक्षक संवर्ग	रिक्तियों की संख्या	आवंटित पदों की संख्या
1.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1	2479	1594
2.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2	18879	8583
3.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3	46935	22282

2/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत एवं जिला शिक्षा अधिकारी एम.पी.ओनलाईन के पोर्टल से निकाय के लिए चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता/मेरिट सूची डाउनलोड करेंगे एवं अभिलेखों के परीक्षण में इसका उपयोग करेंगे। इस सूची को अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेंगे।

3/ जनपद पंचायत अंतर्गत चयनित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 तथा जिला पंचायत अंतर्गत चयनित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के नियोक्तावार चयन/योग्यता (मेरिट) सूची एम.पी.ओनलाईन के पोर्टल पर क्रमशः दिनांक 15.04.2013 एवं दिनांक 30.04.2013 को जारी की जा चुकी है। केवल नियोक्तावार चयनित आवेदकों को अपने प्रमाण पत्रों की जांच करने, चयनित पद पर पदभार ग्रहण करने की अभिर्वीकृति देने तथा

(A)

संस्था में पदभार ग्रहण करने के पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण एवं संस्था के विकल्प का चयन की प्रक्रिया की समय सारणी निम्नालिखित अनुसार होगी :-

क्र.	गतिविधि	सम्यावधि या तिथि	कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर
1	नियुक्तिकर्ता अधिकारी (जिला पंचायत) स्तर पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के चयनित अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच	20.05.13 से 24.05.13 तक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय से
2	नियुक्तिकर्ता अधिकारी (जिला पंचायत) को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण की अभिस्थीकृति देना एवं नियम 2005 में निर्धारित संविदा प्ररूप (Form of Contract) को पूर्ण कर नियुक्तिकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना।	25.05.13 से 26.05.13 तक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय से
3	नियुक्तिकर्ता अधिकारी (जनपद पंचायत) स्तर पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के चयनित अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच	25.05.13 से 28.05.13 तक (दि. 25.05.13 एवं 26. 05.13 को शासकीय अवकाश के दिनों में भी कार्य सम्पादित होगा)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के नामित अधिकारी के समन्वय से
4	नियुक्तिकर्ता अधिकारी (जनपद पंचायत) को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण की अभिस्थीकृति देना एवं नियम 2005 में निर्धारित संविदा प्ररूप (Form of Contract) को पूर्ण कर नियुक्तिकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना।	29.05.13 से 30.05.13 तक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के नामित अधिकारी के समन्वय से
5	शाला में पदभार ग्रहण करने पूर्व परिचयात्मक प्रशिक्षण (induction Training)	03.06.2013 से 14.06.13 के मध्य	आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र / आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा इस संबंध में पृथक से जिला / जनपद पंचायत के प्रशिक्षण हेतु तिथि तथा स्थल की समय-सारणी जारी की जायेगी
6	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा संस्था का चयन तथा नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा संस्था विशेष के लिए नियुक्त आदेश जारी करना	16.06.13 से 17.06.13 तक	संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समन्वय से
7	जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय से ई-सर्विस बुक एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति।	19.06.13 से 20.06.13 तक	जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा
8	नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा संस्था में पदभार ग्रहण	22.06.13 से 28.06.13 तक	संस्था प्रमुख द्वारा

- 4/ ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन यथास्थिति जिला/जनपद पंचायत के लिए हुआ है, वे अपने शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, प्रशिक्षण, जाति एवं अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत (श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के लिए जिला पंचायत एवं श्रेणी-3 के लिए जनपद पंचायत) के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों की पुनः जांच करायेंगे।
- 5/ नियुक्तिकर्ता अधिकारी आवेदकों के मूल प्रमाण पत्रों से आवेदकों की पात्रता की पुनः जांच जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारियों के समन्वय से करेंगे, जिनका नाम चयन/योग्यता सूची में उल्लेखित है। जिन अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक संविदा शाला शिक्षक संघर्ग में हुआ है तो वह अपनी इच्छानुसार किसी भी एक संविदा शाला शिक्षक संघर्ग यथा श्रेणी-1 अथवा 2 अथवा 3 में मूल प्रमाण पत्रों की जांच करा सकेंगा जहां वह नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है।
- 6/ प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत पात्रता पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी अभ्यर्थी से निकाय अंतर्गत नियुक्त किये जाने की लिखित अभिस्वीकृति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करेंगे एवं इसे अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेंगे।
- 7/ कंडिका-3 में उल्लेखित गतिविधियों की समय-सारणी का विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से तथा एजुकेशन पोर्टल पर किया जायेगा।
- 8/ जिला शिक्षा अधिकारी जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत संस्थावार/विषयवार रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र-एक से प्रपत्र तीन में (एक्सल में) तैयार कर लोक शिक्षण संचालनालय में श्री अरुण इंगले सहायक संचालक को सी.डी. एवं हार्डकॉफी में दिनांक 27.05.2013 तक व्यवितरण: उपलब्ध करायेंगे।
- 9/ जिला शिक्षा अधिकारी चयनित अभ्यर्थियों के सम्बूद्ध मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं चयन पात्रता की जांच शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार दक्ष अधिकारियों की एक टीम बनाकर करेंगे।
- 10/ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 की निकायवार/विषयवार/आरक्षणवार चयन सूची जारी की गई है। इसके साथ ही त्रुटिसुधार की सूची भी जारी की गई है। त्रुटिसुधार में उल्लेखित आवेदकों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर शासन निर्देशों एवं नियम में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत पात्रता के अधीन दिनांक 03.07.2013 से 10.07.2013 के मध्य की जाएगी एवं आवेदकों की पात्रता के संबंध में निर्णय लेकर संचालनालय को अवगत कराया जाएगा।
- 11/ जिला शिक्षा अधिकारी, निकायवार/विषयवार/आरक्षणवार विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों से पदभार ग्रहण की अभिस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत वारस्तविक रूप

से रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र-चार से प्रपत्र-छः में (एकस्ल में) तैयार कर दिनांक 31.05.2013 तक लोक शिक्षण संचालनालय में श्री अरुण इंगले सहायक संचालक को सी.डी. एवं हार्डकॉपी में व्यक्तिशः अनिवार्यरूप से उपलब्ध करायेगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

 16/5/13

(आर.के.चौकसे)

उप सचिव

म.प्र. शासन

स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक

पृष्ठां क्रमांक // एफ

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान.मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।

 16/5/13

उप सचिव

म.प्र. शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

अभिस्वीकृति का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत / जनपद पंचायत

जिला(म.प्र.)

विषय— संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1/2/3 पर पदभार ग्रहण की अभिस्वीकृति देने बाबत।

मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में दिए गये प्रावधान के अनुसार मेरे द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा वर्ष 2011–12 में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी— की पात्रता परीक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों के अंतर्गत अर्हता प्राप्त की गई है। शासन आदेश क्रमांक एफ 01–01/2012/20–1 भोपाल दिनांक 27.03.2012 में दिए गये प्रावधान के अनुसार मेरे द्वारा दी गई प्राथमिकता के क्रम में मेरा चयन जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी के पद पर, विषय..... सर्वंग (अनुजाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित) में हुआ है। एकीकृत चयन सूची में मेरा नाम क्रमांक पर अंकित है। जिला/जनपद पंचायत जिला में पदभार ग्रहण करने की स्वीकृति देता/देती हूँ।

दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम

पात्रता परीक्षा का रोल नंबर

पत्राचार का वर्तमान पता

दूरभाष/मोबाइल नंबर